कार्यालयः जिला एवं सेशन न्यायाधीश, दौसा जिला दौसा

क्रमांक/स्था./2025/205 दिनाँकः 24.07.2025

कार्यालय आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, पीठ जयपुर द्वारा S.B. Criminal Misc Suspension of Sentence Application (Appeal) No. 1687/2024 Ibra @ Ibran V/s State of Rajasthan में पारित आदेश दिनाँक 24.07.2025 के द्वारा कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर रहने को अवैध मानते हुए समस्त कर्मचारियों को दिनाँक 25.07.2025 को प्रातः 10:00 बजे अपने कर्त्तव्य पर उपस्थित होने का आदेश दिया है एवं कर्मचारियों द्वारा कर्त्तव्य पर उपस्थित नहीं होने की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के दिशा निर्देश भी जारी किये गये हैं।

अतः माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेशों की पालना में समस्त कर्मचारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनाँक 25.07.2025 को सुबह 10:00 बजे अपने–अपने कार्यस्थल पर आवश्यक रूप से कार्य हेतु उपस्थित आवें।

24/7/25

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
दौसा जिला दौसा

क्रमांकः स्था./2025/8959 दिनाँकः 24.07.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. समस्त पीठासीन अधिकारीगण, दौसा न्याय क्षेत्र को प्रेषित कर लेख है कि अविलंब इस आदेश की प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जावे एवं कर्मचारीगण को जरिए वाट्सअप एवं अन्य उचित माध्यम से सूचित किया जाए।

2. सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय दौसा को प्रेषित कर निर्देश है कि अविलंब इस आदेश को जिला न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करें एवं कर्मचारीगण को जरिए वाट्सअप सूचित करें।

3. अध्यक्ष, राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ, जिला शाखा दौसा को मय माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति सहित प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि समस्त कर्मचारीगण को इससे अवगत कराते हुए कर्मचारीगण को आदेशानुसार अपने कर्त्तव्य पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित करें।

24/7/25

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
दौसा जिला दौसा